झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–गिरिडीह / PDS–99 / 2021 – 409

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 15.06.2023

विषयः– **गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखण्ड में माह दिसम्बर, 2022 में PMGKAY के अन्तर्गत खाद्यान्न का शत्–प्रतिशत उठाव एवं वितरण नहीं हो पाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त है। परिवादी द्वारा औंरा पंचायत के राशन डीलर श्री कुरबान अंसारी के विरूद्ध प्रति यूनिट ढ़ाई किलो कम अनाज देने एवं ऑनलाईन में पूर्ण अनाज वितरण दर्ज किये जाने का आरोप लगाया गया। यह भी कि इस संबंध में परिवादी के स्तर से ज्ञात करने पर DSD अभिकर्ता द्वारा डीलर को कम अनाज देने की बात सामने आई।

उक्त मामले को आयोग द्वारा संज्ञान में लेकर वाद सं0–10 / 2023 प्रारम्भ कर इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं हुआ था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–1442 दिनांक–30.05.2023 द्वारा उक्त मामले में प्रतिवेदित किया गया कि माह दिसम्बर, 2022 में PMGKAY के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के आदेश ज्ञापांक–4193 दिनांक–22.10.2022 द्वारा गिरिडीह जिला को कुल आवंटन 99069.910 क्वीन्टल प्राप्त हुआ था। यह भी कि उक्त आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध FCI के द्वारा खाद्यान्न उठाव की अंतिम तिथि दिनांक–31.12.2022 तक मात्र 70680.78 क्वीन्टल खाद्यान्न दिया गया। FCI से कम खाद्यान्न प्राप्त होने के कारण DM, JSFC, गिरिडीह के पत्रांक–55 दिनांक–19.01.2023 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, झरखण्ड राज्य खाद्य निगम को FCI के गोदाम में खाद्यान्न की उपलब्धता के कारण आवंटित खाद्यान्न शत्–प्रतिशत उठाव नहीं होने एवं अवशेष खाद्यान्न को उपलब्ध कराते हुए अवधि विस्तार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया।

अतः उपरोक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–1442 दिनांक–30.05.2023 की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले की जांच कराते हुए दाषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

15/6/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx402

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261